HDFC BANK
We understand your world

विशेष प्रचालन विभाग – 5वां तल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लॉसिक टॉवर, ब्लॉक जे, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालयः बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 में है तथा एक कार्यालय 5वां तल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लैसिक टावर, ब्लॉक जे, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में है में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना 25 अगस्त, 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) अंतर्गत जारी कर ऋणधारक मै. एपीडी फैशन प्राईवेट लिमिटेड, कार्यालयः कार्यालय नं. 7022/1, एमपीएल नं. 483, मैन रोड माता राजेश्वरी, नेहरू नगर, डस्टविन के निकट, नई दिल्ली–110005 तथा गारंटर्स नामः श्री संजय कक्कर एवं श्री राकेश कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 25 अगस्त, 2022 को रु. 7,71,72,278.07 (रु. सात करोड़ इकहत्तर लाख बहत्तर हजार दो सौ अठहत्तर एवं पैसे सात मात्र) के साथ उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, गारंटर, मार्टगैजर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मार्टगैटर्स, गारंटर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
1.	सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार के बिना, माप 130.07 वर्ग मीटर, आवासीय सम्पत्ति सं. 68 का भाग, भूमि एरिया 175 वर्ग मीटर, पॉकेट ए, सेक्टर 19, द्वारका, नई दिल्ली	24 फर. 2023
2.	ग्राम तिहाड़, फतेह नगर के नाम से विदित, बी–ब्लॉक, गुरुनानकपुरा, नई दिल्ली में स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड–179, माप 200 वर्ग यार्ड्स, छत के अधिकार के साथ, खसरा नं. 585 में शामिल।	24 फर. 2023

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24 फर. 2023

प्राधिकृत अधिकारी,
एचडीएफसी बैंक लि.

डीसीबी बैंक लिमिटेड
7/56, 'ए' सेट हाउस, देश बंधु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 26.9.2022 जारी कर श्री जीतेन्द्र सिंह, सोनू देवी, नरेन्द्र सिंह तथा श्रीमती रमावती को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 19,94,258.26/– (रु. उन्नीस लाख चौड़ानवे हजार दो सौ अन्ठावन एवं पैसे छब्बीस मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 20 फरवरी, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 21,47,332.78** तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मौजा बसई, मुस्तकिल चुंगी अंडर, ताजगंज आगरा, उत्तर प्रदेश–282001 में प्लॉट नं. ए–20 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

हस्ता./–
तिथिः 26.02.2023
स्थानः आगरा

प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

REGENCY HEALTH
BHAROSE KA SPECIALIST

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड

सीआईएन : U85110UP1987PLC008792
पंजीकृत कार्यालय : ए–2, सर्वोदय नगर, कानपुर 208 005, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 0512–3502480, ई–मेल : investor@regencyhealthcare.in
वेबसाइट : www.regencyhealthcare.in

असाधारण आम बैठक तथा ई–वोटिंग की जानकारी की सूचना

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021 तथा 11/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020,13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 तथा 28 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 21 मार्च, 2023 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी और कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य सभी प्रयोज्य कानूनों द्वारा कंपनियों को सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किसी कॉमन स्थान पर वीसी के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.regencyhealthcare.in पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
3. कट–ऑफ तिथि (14 मार्च, 2023) को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   - **i.** ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय का रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से लेन–देन किया जा सकता है।
   - **ii.** रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 14 मार्च, 2023 होगी।
   - **iii.** रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 (सुबह 9:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) से शुरू होगी।
   - **iv.** रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 20 मार्च, 2023 (5:00 बजे अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी।
   - **v.** रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल शाम 20 मार्च, 2023 को 5:00 बजे अप. भा.मा.स. के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
   - **vi.** भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी 14 मार्च, 2023 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में और जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट–ऑफ तिथि यानी 14 मार्च, 2023 तक शेयर धारण करते हैं, 'Instructions for e-voting' के तहत एजीएम की सूचना में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।
   - **vii.** सदस्य ध्यान दें किः **क**) एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; **ख**) ईजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, और वीसी सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे; **ग**) जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और **घ**) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
   - **viii.** डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट वोटिंग करने का तरीका ईजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया गया है। यह विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस तरह के विवरण प्राप्त करने के लिए www.regencyhealthcare.in देखें।
   - **ix.** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम की सूचना के साथ–साथ एनएसडीएल द्वारा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ/शिकायत के मामले में, आप एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for Members और 'e-voting user manual' for Members देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य सुश्री अंकिता गुप्ता, कंपनी सचिव, बी–5 सर्वोदय नगर कानपुर–208005 से ankitagupta@regencyhealthcare.in, दूरभाष : # 0512–3502480 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड
ह./–
अंकिता गुप्ता
कम्पनी सचिव

तिथि : 25 फरवरी, 2023
स्थान : कानपुर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद–201102 ईमेलः–circlem@upavp.com

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–6 में सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य हेतु टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं, अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–301/ पी0आर0ओ0–50ई/07, दिनांक 25.02.2023 द्वारा आमंत्रित की गयी हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.upavp.com एवं कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है।

अधीक्षण अभियन्ता

यूनीफिन्ज कैपिटल इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में श्री वर्जटेक्स लिमिटेड)
चावला हाउस, 3रा तल, 19, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली–110019, ईएमः cs@lendingplate.com;
+91-7373737316

खोया एवं पाया

श्री वर्जटेक्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय चावला हाउस, 3रा तल, 19, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में है, को आरबीआई द्वारा जारी की गई पंजीकरण (सीओआर) नं. 14.00233 तथा तिथि 31.7.2000 का मूल प्रमाणपत्र प्रेषण के दौरान गुम हो गया है तथा सर्व–साधारण को सतर्क किया जाता है कि उसका व्यवसाय न करें तथा यदि वह मिले तो कृपया कम्पनी को वापस लौटा दें।

तिथिः 25.02.2023
स्थानः दिल्ली

हस्ता./–
केतना कुमारी

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

शाखा कार्यालयः पटेल नगर (0117), नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002, (2002 का अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत **यूको बैंक, पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **29.11.2022** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री निखिल शंकर, पुत्र जगमोहन शंकर एवं श्रीमती बेबी शंकर पत्नी जगमोहन शंकर** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.8,78,079/– (आठ लाख अठहत्तर हजार उनासी रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा 24 फरवरी 2023** को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.8,78,079/– (आठ लाख अठहत्तर हजार उनासी रूपये मात्र)** और उस पर ब्याज के साथ **यूको बैंक, पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री निखिल शंकर पुत्र जगमोहन शंकर के स्वामित्व वाले मकान जेजे फ्लैट नम्बर 58, पहली मंजिल, ब्लॉक नम्बर 5, गली नं.38, रेगरपुरा, करोलबाग, दिल्ली–110005 से युक्त सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से। बिक्री विलेख पंजीकरण संख्या 7008, पुस्तक संख्या 1, खण्ड संख्या 15717, पृष्ठ संख्या 129 से 134 दिनांक 19.08.2014 उप रजिस्ट्रार III, नई दिल्ली में पंजीकृत।

तिथिः 24.02.2023 स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

J&K Bank
Serving To Empower

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

नवीन शादरा 0287; 1/1051 बाबरपुर रोड नवीन शादरा दिल्ली 110032
टेलीफोन : +91 (0)011–22321305, ईः shadra@jkbmail.com] डब्ल्यू : www.jkbank.net

कब्जे की सूचना; प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के तहत श्री राजीव कुमार डिगरा, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 12.04.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता (ओं) सह बंधक(ओं) और गारंटर(रों) अर्थात निम्न को :

1. **श्री मिर्जा अली रजा पुत्र श्री मिर्जा दिल बहार अली,** निवासीः 7200 बेरी वाला बाग, आजाद मार्केट, दिल्ली–110006 (उधारकर्ता/बंधककर्ता)
2. **श्रीमती शाहीन ज़हरा पत्नी मिर्जा दिल बहार अली,** निवासी :7200 बेरी वाला बाग, आज़ाद मार्केट, दिल्ली–110006 (सह–उधारकर्ता)
3. **श्री रईस अहमद पुत्र श्री बिट्टन मियां,** निवासी :6862, बेरीवाला बाग, आजाद मार्केट, दिल्ली–110006 (गारंटर)
4. **श्री इशरत अली पुत्र श्री अनवर अली** निवासी : 6216, गली महादेवी, बड़ा हिंदू राव, दिल्ली–110006 (गारंटर)
5. **श्री सी.एल. गुप्ता पुत्र श्री एस.एल. गुप्ता** निवासीः 3/121, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092 (गारंटर)

को 31.03.2022 के अनुसार ऋणी के खाते में बकाया राशि के रूप में रुपये 4,87,640.00 (चार लाख सत्तासी हजार छह सौ चालीस मात्र) की राशि एवं भविष्य के ब्याज और उस पर अन्य शुल्क को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उक्त उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्वारा उक्त उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उक्त उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति का किसी भी तरह से लेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को 01.02.2023 से उस पर भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ–साथ रु. 5,35,993.00 (पांच लाख पैंतीस हजार और नौ सौ तिरानवे रुपये मात्र) की कुल राशि और अन्य प्रभार जो वहन किए गए या किए जाने हैं के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता(ओं)का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

गांव वजीरपुर दिल्ली के क्षेत्र में, सावन पार्क एक्सटेंशन के रूप में जाना जाने वाला आबादी, रेलवे फाटक नंबर 3 के पास, दिल्ली –110052 स्थित निर्मित आवासीय संपत्ति नंबर 72, भूमि की माप 100 वर्ग गज, आकार 30 फुट × 30 फुट, खसरा नं. 676, 677,678,679 और 781/659 मिन का साम्यिक बंधक।

टेलीफोन : +91 (0)194 2481 930–35, फैक्स : +91 (0)194 248 1928, सीआइएनः L65110JK1938SGC000048,
ई–मेल : info@jkbmail.com] डब्ल्यू : www.jkbank.net

स्थान : दिल्ली
दिनांकः 22.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी,
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड–अल्मोडा

पत्रांक 1646 ग्रा0नि0वि0/दो–लेखा/निविदा/2022–23/ दिनांक 24/02/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य की मुहरबन्द निविदा दिनांक 14.03.2023 को अपरान्ह 2:00 बजे तक ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कार्यालय अल्मोड़ा में आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। उक्त कार्यों की निविदाओं का विक्रय दिनांक 13.03.2023 को सायं 4:00 बजे तक प्रखण्ड कार्यालय अल्मोड़ा (स्थित–विकास भवन) में किया जायेगा। कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं विभागीय शर्तें किसी भी कार्य दिवस में ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कार्यालय अल्मोड़ा से प्राप्त की जा सकती है। किन्हीं अपरिहार्य कारणवश निर्धारित तिथि को राजकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में उक्त निविदा अगली तिथि/ कार्य दिवस को विक्रय एवं आमंत्रित की जायेगी।

क्रं. सं.	निर्माण कार्य का नाम	विकास खण्ड	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी
01	रा0इ0का0 गणानाथ में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का कार्य।	ताकुला	2.91	5900.00	रु. 500.00 +जी.एस.टी.	02 माह	01 माह	भवन कार्य में श्रेणी 'ई.' एवं उच्चतर
02	हैल्थ वेलनेस सेन्टर डौबा का निर्माण कार्य	हवालबाग	9.50	19000.00	रु. 1000.00 +जी.एस.टी.	03 माह	01 माह	भवन कार्य में श्रेणी 'ई.' एवं उच्चतर
03	राजकीय जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य।	हवालबाग	21.20	43000.00	रु. 2000.00 +जी.एस.टी.	03 माह	03 माह	भवन कार्य में श्रेणी 'डी.' एवं उच्चतर

नोटः– 1. निविदा क्रय करते समय विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र (भवन कार्य में) एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

हस्ता./–
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–अल्मोड़ा

डीसीबी बैंक लिमिटेड
ए–सेट हाउस, 7/56, देशबन्धु गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK

ई–नीलामी बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदारों तथा जमानतियों को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भौतिक कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार निम्नलिखित बकायों तथा भावी ब्याज, प्रभारों एवं लागत आदि की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार निविदा सह सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी :

सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी।

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी राशि	ई–नीलामी की तिथि	कब्जा का प्रकार
1.	मनीत पृथी, आशा देवी, माई फैशन इंडस्ट्री एवं मुकेश कुमार	रु. 52,00,000/– (रुपये बावन लाख मात्र)	रु. 5,20,000/– (रुपये पांच लाख बीस हजार मात्र)	29–03–2023	भौतिक
सम्पत्ति का पता : सम्पूर्ण तृतीय तल (छत के अधिकार सहित), सम्पत्ति सं. बी–312 का भाग, तृतीय तल, सेक्टर 19 द्वारका, नई दिल्ली–110075					
2	अमित यादव, लीलावती यादव तथा उषा यादव	रु. 80,00,000/– (रुपये अस्सी लाख मात्र)	रु. 8,00,000/– (रुपये आठ लाख मात्र)	29–03–2023	भौतिक
बंधक संपत्ति का विवरणः आरजेड–3बी, ब्लॉक मेन गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043					

सभी सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि एवं समय 20.03.2023 से 24.03.2023 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप, **सम्पर्क व्यक्ति** : श्री प्रमोद चन्द (9990338759) तथा 11 बजे पूर्वा. से 6 बजे अप.
केवाईसी की भागीदारी के अनुरोध पत्र, पैन कार्ड, ईएमडी के प्रमाण सहित ईएमडी जमा करने की तिथि एवं समय 28/03/2023 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले ई–मेल आईडी **pramod.chand@dcbbank.com** पर।
इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लाभार्थी के नाम, डीसीबी बैंक लिमिटेड, शाखाः ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, खाता नाम राऊ नॉन पीडीसी कलेक्शन, **खाता नं.** 0462955100223. **आईएफएससी कोड DCBL0000046. शाखा नई दिल्ली** में जमा करनी होगी।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें

(1) श्री यू सुब्बाराव, सेल नं. +91–8142000061/66, लैण्ड लाइन नं. 040–23836405, ई–मेल आईडी : subbarao@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से उनके वेब पोर्टल https://bankauctions.in/ पर सम्पर्क करें जो उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों पर 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित सम्पन्न होगी। संविदाकारों को अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखने का परामर्श दिया जाता है।
(2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करना और नीलामी सेवा प्रदाता (4closure.com), लैण्ड लाइन नं. 040–23836405 से ई–बोली के लिए अनिवार्य लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक है। संभावित बोलीदाता केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
(3) नीलामी प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके ऑनलाइन ई–नीलामी भागीदारी अनिवार्य है जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है।

ह./–
तिथि : 26–02–2023
स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

दक्षिण रेलवे
चेन्नई मंडल (यांत्रिक शाखा)
जीईएम बिड नं. जीईएम/2023/बी/3170388
तिथिः 22.02.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक/यांत्रिक शाखा/चैन्नई मंडल, चेन्नई–600003 द्वारा पोर्टल www.gem.gov.in में दी गई निविदा सूचना के अनुसार निम्न कार्यों के लिये ऑनलाईन निविदा आमंत्रित है। चेन्नई मंडल में यांत्रिक कार्यों के लिये आवेदन के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों को जीईएम पोर्टल www.gem.gov.in पर सूचीकरण कराना होगा तथा केवल ऑन लाईन निविदा ही स्वीकार की जाएगी।

विवरणः टीएनपीएम वैगन डिपों के सम्पूर्ण हाउस कीपिंग के लिये अनुबंध–सभी शेड्स से स्क्रैप का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं भंडारण, सभी सेवा भवनों के प्रसाधनों, यूरीनल, बाथरुम, वाश बैसिन की सफाई एवं हाउस कीपिंग तथा 730 कार्य दिवसों के लिये गार्डन का रखरखाव"
अवस्थितिः चैन्नई
विज्ञापित निविदा मूल्य रु. मेंः रु. 1,74,11,297
धरोहर राशि भुगतानः रु. 2,37,056/–
समान प्रकार का कार्यः लागू
पूर्णता अवधि वर्ष मेंः 2 वर्ष
निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः 16.03.2023 के 18.00 बजे।
निविदा का विवरण ई–पोर्टलः www.gem.gov.in में दिया गया है। विवरणों एवं बोली जमा करने के लिये कृपया वेब पोर्टल www.gem.gov.in देखें।

मंडल रेलवे प्रबंधक
(यांत्रिक शाखा)/चेन्नई

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 2401, जनरल थिम्मैया रोड (छावनी), पुणे–411 001
उपभोक्ता वित्त प्रभागः नया नंबर 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई–600 017
राज्य कार्यालयः सेक्टर 12, एससीओ 222, दूसरी मंजिल, एक्सिस बैंक के ऊपर, करनाल–132001

परिशिष्ट–IV
कब्जा–सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद उक्त अधिनियम) के तहत, मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड, जिसका कार्यालय एससीओ 222, सेक्टर 12, दूसरी मंजिल, करनाल में है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद उक्त निय) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.06.2022 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें मुख्य कर्जदार के साथ–साथ दिवंगत सह–उधारकर्ता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार के कानूनी वारिसः (1) श्री सुनील कुमार, पुत्र सुरेंद्र कुमार, वयस्क और सह–उधारकर्ता के साथ–साथ मृतक सह–उधारकर्ता के कानूनी वारिसः स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमारः (2) मनोज कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, वयस्क, और (3) सह–उधारकर्ताः श्रीमती पूजा पत्नी मनोज कुमार, वयस्क, सभी निवासीः गली नंबर 11, मुखीजा कॉलोनी,शिव मंदिर के पास, जट्टाल रोड, पानीपत, हरियाणा–132103, से नोटिस में उल्लिखित अनुसार उक्त ऋण अनुबंध संख्या डीपीपी 05077एम् के तहत देय कुल बकाया राशि के रूप में 13/06/2022 के अनुसार रु. 28,28,665.79/– (रूपए अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार छह सौ पैंसठ और उनहत्तर पैसा केवल) की राशि को उक्त नोटिस दिनांक 17 जून 2022 की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) ने उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा (ऋणकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति को 24.02.2022 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन 13/06/2022 के अनुसार रु. 28,28,665.79/– (रूपए अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार छह सौ पैंसठ और उनहत्तर पैसा केवल) और उस पर अन्य ब्याज की राशि के लिए **मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के पूर्व प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण
(सुरक्षित संपत्ति)

पट्टी राजुत्तन पानीपत आबादी मुखीजा कॉलोनी तहसील और जिला पानीपत में स्थित प्लॉट नं 165, क्षेत्रफल मापयोग्य 124.5 वर्ग गज यानी खसरा संख्या 2363/2(1–16), 2364(9–9), 2366(4–13), 2367(2–18), 2368(1–14), 2177(3–18) में शामिल 24 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बिस्वा 10 बिस्वाँसी 50/9760 हिस्सा वाले भूमि और भवन के सभी टुकड़े और पार्सल। जो निम्न रूप में घिरा हैः
उत्तरः शिव मंदिर (39 फीट); दक्षिण : सरदार जी की संपत्ति (39 फीट); पूर्वः गली (28.5 फीट); पश्चिमः दूसरे मालिक की संपत्ति (29.3 फीट)

दिनांकः 24.02.2023
स्थानः करनाल

आपका
कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

आंचलिक दबावग्रस्त
आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर
फोनः 0761– 2480150, 2480160

सार्वजनिक सूचना

संः हमारी आंचलिक दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा,जबलपुर **मेसर्स रॉलसन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. (मेसर्स डी.ए. रबर इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.)** का अग्रिम खाताः ''इरादतन चूककर्ताओं (Willful Defaulters)'' की फोटोग्राफ का प्रकाशन।

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक/ भा.रि.बैं. के मौजूदा नियमों व विनियमों के अनुसार उसमें निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को ''इरादतन चूककर्ताओं (Willful Defaulters)'' के रूप में घोषित किया है।

(1) मेसर्स रॉलसन इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. (मेसर्स डी.ए. रबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.)
(2) श्री रजनीश पाहवा पुत्र संत प्रकाश पाहवा (डायरेक्टर / गारंटर)
(3) श्री संत प्रकाश पाहवा पुत्र स्व. श्री राम लुभाया पाहवा (डायरेक्टर / गारंटर)
(4) श्री राजीव पाहवा पुत्र संत प्रकाश पाहवा (डायरेक्टर / गारंटर)
(5) श्रीमति समिता पाहवा पत्नि रजनीश पाहवा (डायरेक्टर / गारंटर)

बैंक ने उधारकर्ता व इनके उ धारकर्ता/ जमानतदार को उपयुक्त संप्रेषण द्वारा बैंक के इस निर्णय के बारे में सूचित किया था कि उन्हें ''इरादतन चूककर्ताओं (Willful Defaulters)'' के रूप में घोषित किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित होने के बाद, बैंक सार्वजनिक सूचना हेतु ''इरादतन चूककर्ताओं (Willful Defaulters)'' की फोटोग्राफ प्रकाशित करता है।

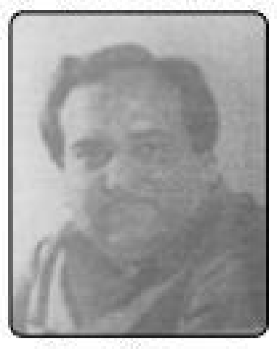
श्री रजनीश पाहवा
पुत्र संत प्रकाश पाहवा
(डायरेक्टर / गारंटर)

श्री संत प्रकाश पाहवा
पुत्र स्व. श्री राम लुभाया पाहवा
(डायरेक्टर / गारंटर)

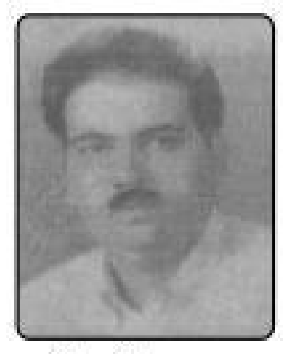
श्री राजीव पाहवा
पुत्र संत प्रकाश पाहवा
(डायरेक्टर / गारंटर)

श्रीमति समिता पाहवा
पत्नि रजनीश पाहवा
(डायरेक्टर / गारंटर)

दिनांकः 26/02/2023

वास्ते– बैंक ऑफ बड़ौदा
राकेश भाटिया (मुख्य प्रबंधक)

(यह केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए एक सार्वजनिक घोषणा है और यह प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है और यह एक प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है)

KCD

केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

हमारी कंपनी को मूल रूप से "रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड" के नाम और शैली में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका पंजीकरण संख्या 21039 दिनांक 25 मई, 1985 को कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा द्वारा जारी किया गया था। कंपनी के नाम को आरओसी सर्टिफिकेट दिनांक 23 नवंबर 2001 के माध्यम से "रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड" से बदलकर "रुचिका इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड" कर दिया गया था। बाद में, कंपनी के नाम को "आरओसी प्रमाणपत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2019 द्वारा"रुचिका इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड" से बदलकर "केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड" कर दिया गया था।
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1985PLC301881;
पंजीकृत कार्यालयः 501, 5वीं मंजिल, रूबी क्रिसेंट बिजनेस बुलेवार्ड, अशोक चक्रवती रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400 101, संपर्क व्यक्तिः श्री पंकज यादव, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी;
संपर्क नंबरः +91–9137322030; ई–मेल आईडीः complaints@kcdindustries.com;
वेबसाइटः http://www.kcindustries.com

हमारी कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए निजी परिसंचरण के लिए
हमारी कंपनी के प्रमोटर श्री राजीव चंदूलाल दर्जी है।

(•) (•) के अनुपात में (•) (•) प्रत्येक के लिए 'राइट इश्यू रिकॉर्ड तिथि, (•) ('इश्यू') के अनुसार ऐसे पात्र शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक (•) (•)धारित इक्विटी शेयर के लिए(•) ((•)) ('राइट शेयरों ') के अनुपात में केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ('कंपनी' या 'जारीकर्ता') के पात्र शेयरधारकों के लिए एक ('राइट इश्यू') के आधार पर रु. 49,00,00,000.00/– (केवल उनतालीस करोड़ रुपये) तक की एक राशि के लिए प्रति राइट्स शेयर (इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के साथ बराबर मूल्य/प्रीमियम पर जारी किया जाना है) ('इश्यू प्राइस') ('राइट शेयर') प्रत्येक'(•) (रुपए) के मूल्य पर (•) केवल) (•) ((•)) तक का राइट्स इश्यू *1.00/– (केवल एक रुपया) ('इक्विटी शेयर') के अंकित मूल्य वाले पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (•) तक के राइट्स इश्यू। निर्गम मूल्य (बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा) इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के बराबर/प्रीमियम होगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रस्ताव के इस प्रारूप पत्र के पृष्ठ 110 पर शुरू होने वाले मुद्दे की शर्तों वाले खंड का संदर्भ लें।

यह सार्वजनिक घोषणा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा), 2018 के विनियम 72(2) के प्रावधानों यथा संशोधित ('सेबी आईसीडीआर विनियम') ('सार्वजनिक घोषणा') के अनुपालन में यह जानकारी देने के लिए की जा रही है कि केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, राइट्स के आधार पर इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए आवश्यक अनुमोदन, बाजार की स्थितियों और अन्य विचारों के अधीन प्रस्ताव कर रहा है और 24/02/2023 को ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर ('डीएलओएफ') बीएसई लिमिटेड('बीएसई'), स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया है जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं। चूंकि इश्यू का आकार सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अनुसार रु.50,00,00,000.00/– (केवल पचास करोड़ रुपये) से कम है। इस लिए डीएलओएफ को न तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के पास दायर किया गया है और न ही सेबी डीएलओएफ पर कोई अवलोकन जारी करेगा।

यह सार्वजनिक घोषणा भारत में प्रकाशन के लिए तैयार की गई है और इसे किसी अन्य क्षेत्राधिकार में जारी नहीं किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि डीएलओएफ का वितरण और इक्विटी शेयरों का निर्गमन भारत के बाहर कुछ न्यायक्षेत्रों में व्यक्तियों के अधिकार के आधार पर उन न्यायालयों में प्रचलित कानूनी आवश्यकताओं द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। तदनुसार, कोई भी व्यक्ति जो राइट्स एंटाइटेलमेंट या राइट्स शेयर प्राप्त करता है,तो यह माना जाएगा कि उसने राइट्स शेयर्स या राइट्स एंटाइटेलमेंट्स की सदस्यता के समय घोषित, वारंट और सहमति व्यक्त की है, ऐसा व्यक्ति संयुक्त राज्य और /या अन्य प्रतिबंधित न्यायालयों में नहीं है और न ही होगा। कंपनी के राइट शेयर 1933 के यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एक्ट, संशोधित ('सिक्योरिटीज एक्ट') या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के तहत पंजीकृत नहीं हैं और न ही होंगे,जिसमें राइट शेयर अपने अधिकार क्षेत्र में और/या अपने नागरिकों के लिए पेशकश, जारी करने और आवंटन के संबंध में कोई प्रतिबंध है। जिस पेशकश से डीएलओएफ संबंधित है, उसे किसी भी स्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में बिक्री के लिए किसी भी राइट शेयर या राइट्स एंटाइटेलमेंट की पेशकश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और न ही उक्त राइट शेयर या राइट्स एंटाइटेलमेंट में से कोई भी खरीद किसी प्रस्ताव के आग्रह के रूप में माना जाना चाहिए।

इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में एक डिग्री जोखिम शामिल है और निवेशकों को इस इश्यू में किसी भी फंड का निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने निवेश को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इश्यू में निवेश का निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। निवेश का निर्णय लेने के लिए, निवेशकों को हमारी कंपनी और इस मुद्दे में शामिल जोखिमों सहित अपने स्वयं के परीक्षण पर भरोसा करना चाहिए। राइट्स शेयरों की सेबी द्वारा न तो सिफारिश या न ही अनुमोदन नहीं किया गया है और न ही सेबी डीएलओएफ की सटीकता या पर्याप्तता की गारंटी देता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इश्यू में निवेश करने से पहले डीएलओएफ के पृष्ठ 21 पर शुरू होने वाले 'जोखिम कारक' शीर्षक वाले खंड को देखें।

हमारी कंपनी की शेयर पूंजी के विवरण के लिए, कृपया डीएलओएफ के पृष्ठ 43 पर शुरू होने वाले 'पूंजी संरचना' शीर्षक वाले खंड को देखें।

नोटः यहां परिभाषित नहीं किए गए पूंजीकृत शब्दों का वही अर्थ होगा जो डीएलओएफ में ऐसे शब्दों के लिए दिया गया है।

इश्यू हेतु रजिस्ट्रार

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी 153 ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020, भारत,
दूरभाषः +91 011–40450193–97, फैक्सः एनए , वेबसाइटः www.skylinerta.com
ईमेलः ipo@skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः **INR000003241**
संपर्क व्यक्तिः सुश्री रति गुप्ता

अस्वीकरणः केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड अपने इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू बनाने के लिए आवश्यक अनुमोदन, बाजार की स्थितियों और अन्य विचारों की प्राप्ति के अधीन प्रस्ताव दे रहा है और बीएसई के साथ डीएलओएफ दायर किया है। डीएलओएफ बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयरों में निवेश में उच्च स्तर का जोखिम होता है और इससे संबंधित विवरण के लिए डीएलओएफ के पृष्ठ 21 पर 'जोखिम कारक' शीर्षक वाला खंड देखें।

निदेशक मंडल की ओर से
केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
श्री राजीव चंदूलाल दर्जी
प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांकः 24/02/2023

पश्चिम मध्य रेल्वे

ई-निविदा सूचना निविदा संख्या डिप्टी.सीएसटीईसी-II-भोपाल/22-23-02 दिनांकः 20.02.2023

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजी (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** (22-23/02), **कार्य का नामः** सप्लाई, इंस्टालेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग आफ इंडोर एंड आउटडोर टेलिकॉम इक्विपमेंट, लेईंग आफ ओ एफ सी एंड क्वाड केबल ई सी सर्किट एस.सी.ए.डी.ए कनेक्टविटी इत्यादी साथ ही ब्यावरा राजगढ़ से निशातपुरा डी सेक्शन के न्यू लाइन से सम्बंधित सभी संयुक्त कार्य भोपाल मंडल पर किया जाना है एवं टनल कम्युनिकेशन, एस.सी.ए.डी.ए. कनेक्टविटी का कार्य और पश्चिम मध्य रेल कोटा मंडल के रामगंजमंडी-ब्यावरा राजगढ़ सेक्शन में सप्लाई, इंस्टालेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग आफ आई पी-एम पी एल एस इक्विपमेंट का कार्य साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं केबल शिफ्टिंग का कार्य सेक्शन में किया जाना है। **कार्य की अनुमानित लागत रु.:** 12,18,61,380.47, **बयाना राशि रु.:** 7,59,300/-, **टेण्डर फॉर्म की कीमत रु.:** 0.00, **कार्य समाप्ति अवधिः** 18 Months (including Monsoon & Harvest period) from the date of issue of letter of Acceptance, **टेण्डर जमा करने की तारीख एवं समयः** 24.03.2023। पूर्ण टेण्डर शिडयूल से संम्बधित सम्पूर्ण जानकारी रेल्वे वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती हैं। निविदा/बोलीदाताओं के पास क्लास-III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आईआर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/ बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किया जाना चाहियें। मिनिमम एलिजिबिलिटी काईटेरिया एम.ई.सी (ए) एवं (बी) और बिड केपेसिटी से संम्बधित सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजी (निर्माण),
पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल

कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana Next date: 29-03-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Samiksha Sigma Shiksha And Jankalyan Samiti
CNR NO: PBLD03-035829-2019

Publication Issued To: samiksha sigma shiksha and jankalyan samiti address-through its president ramakant sharma secretary pushpa sharma and treasurer urmila h. no 96 ward no 60 thatipur bajrang vihar kunwar baba mandir ke pass gwalior madhya pradesh 02. ramakant sharma president of 03. pushpa sharma secretary of samiksha sigma shiksha and jankalyan samiti both r/o bajarang vihar near kunyar baba mandir mehra thatipur gird rk puri gwalior 474011 madhya pradesh 04. urmila treasurer of all are of samiksha sigma shiksha and jankalyan samiti house no 96 ward no 60 thatipur bajarang vihar kunwar baba mandir ke pass gwalior 474011 madhya pradesh

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 29-03-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

www.readwhere.com